तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुकम की तामीलमेंजारीहुए ।
	बद्रीप्रसाद vs रामू वगै. T-9	
3/11/20	वकील प्रार्थी को बीफहोल्डर तथा वकील अप्रार्थी को हाजिर। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 4/11/20 को पेश हो। इस तारीख पर बहस नहीं सुनी जा सकी। पत्रावली कुछ बहस वास्ते बहस दिनांक 5/11/20 को पेश हो।	
5/11/20	वकील फरीकैन उप.। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 2/12/20 को पेश हो।	
2/12/20	वकील फरीकैन हाजिर। जाबतापत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर शामिल दफ्तर हो।	

पीठासीन अधिकारी— श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
29 / 17	अस्थायी [illegible]ाज्ञा	30.08.17	02.12.2020

बद्रीप्रसाद पुत्र देवीलाल आयु 70 साल जाति मीना निवासी कैमोखरी तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

01. राजू पुत्र हरिचरण।
02. रमेशी बेवा हरिचरण। (शेष)
03. हरिमोहन पुत्र देवीलाल।
04. बाबूलाल पुत्र हरदेव।
05. लक्खी पुत्र हरदेव।
06. भुल्लन पुत्र हरदेव।
07. सुमरन पुत्र हल्के। सभी जातिगण मीना निवासी कैमोखरी तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
08. शाखा प्रबन्धक बी.ओ.बी. शाखा करणपुर।
09. लैंड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट</u>

उपस्थितः— श्री शेरसिह वकील वादी।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि आराजी खसरा नं0 231 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 232 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम भैरोंपुरा तहसील सपोटरा तथा आराजी खसरा नं0 6 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं0 7 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं0 8 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं0 9 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 10 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 19 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं0 20 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 21 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 25 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं0 27 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं0 28 रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा कुल कि[illegible] कुल रकबा 25 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम कैमोखरी एवं आराजी खसरा नं0 31 रकबा [illegible] बीघा, खसरा नं0 [illegible] रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं0 33 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नं0 201/4 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 09 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम डंगरिया तहसील सपोटरा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है। उक्त आराजीयात का प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 7 का लगभग 40 वर्ष पूर्व सरल नरस के आधार पर बटवारा करके फसल काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी के हिस्से मे प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 मे दर्ज आराजीयात आई जिसे प्रार्थी ने करीबन तीन लाख रूपये की राशि से लागत लगाकर सुधरवा कर कृषि योग्य बनाई जिस पर प्रार्थी फसल काश्त का लाभ लेता चला आ रहा है।, प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 मे दर्ज आराजीयात अप्रार्थी सं0 1 ता 3 [illegible] ता 7 के हिस्से [illegible] है [illegible] पत्र के मद नं0 3 मे दर्ज आराजीयात का बाहमी बंटवारा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला–क[illegible]

Scanned with CamScanner

है और अपने अपने हिस्से मे सुधार कर फसल काश्त का लाभ लेते चले आ रहे है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 के मन मे बदनियति आ गई है। इस कारण अब बाहमी बंटवारा अनुसार प्रार्थी को फसल काश्त नही करने दे रहे है और प्रार्थी के हिस्से मे आई आराजी को हडपने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 1 ता 3, 8 बावजूद तामील उपस्थित न्यायालय नही आये इसिलए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी सं0 4 ता 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये किन्तु इनकी ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया। अप्रार्थी सं0 9 का प्रकरण मे राज्य हित प्रभावित नही होने के कारण जवाब अपेक्षित नही है।

बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी जाकर उस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जमाबंदी फोटोप्रति ग्राम भैरोंपुरा, कैमोखरी एवं डंगरिया तहसील सपोटरा के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के संयुक्त खातेदार दर्ज रिकार्ड है। संयुक्त खातेदारी की भूमि मे एक सह अभिधारी किसी दूसरे अभिलिखित सह अभिधारी के विरूद्ध व्यादेश प्राप्त नही कर सकता क्योंकि प्रत्येक सह–अभिधारी अविभाजित जोत के प्रत्यके इंच का कब्जेदार स्वामी है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। बंटवारा का दावा है, इसलिए दावा के अंतिम निर्णय तक रिकार्ड की यथास्थिति उचित प्रतीत होती है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि ग्राम भैरोंपुरा, कैमोखरी एवं ग्राम डंगरिया तहसील सपोटरा की विवादित आराजीयात के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 02.12.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(ओम प्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned with CamScanner